आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं. 71/2019–राज्य कर

शिमला–2, 31 दिसम्बर, 2019

सं0 ई.एक्स.एन.–एफ(10)–25/2019.––हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2019 के नियम 5, जो अधिसूचना संख्यांक 31/2019– राज्य कर, तारीख 17 जुलाई, 2019 द्वारा बनाया गया था और जो संख्या ई.एक्स.एन.–एफ(10)–15/2019, के तहत तारीख 25 जुलाई, 2019 को हिमाचल प्रदेश के राजपत्र (ई–गजट) में प्रकाशित किये गए थे, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, 1 अप्रैल, 2020 को उस तारीख के रूप में जिसको उक्त नियम के उपबंध प्रवृत होंगे, नियत करते हैं।

आदेश द्वारा,
संजय कुंडू,
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

——————

[*Authoritative English text of this Department Notification No.EXN-F(10)-25/2019 dated 31-12-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 71/2019-State Tax

Shimla, the 31st December, 2019

No. EXN-F(10)-25/2019.—In exercise of the powers conferred by rule 5 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Fourth Amendment) Rules, 2019, made *vide* notification No. 31/2019– State Tax, dated the 17th July, 2019, published in the Gazette of Himachal Pradesh (e-Gazette), *vide* number EXN-F(10)-15/2019, dated the 25th July, 2019, the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to appoint the 1st day of April, 2020, as the date from which the provisions of the said rule, shall come into force.

By order,
SANJAY KUNDU,
Principal Secretary (E & T).

——————

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं. 72/2019–राज्य कर

शिमला–2, 31 दिसम्बर, 2019

सं0ई.एक्स.एन.–एफ(10)–25/2019.––हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 46 के छठे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित करते हैं कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका एक वित्तीय वर्ष में आवर्त पांच सौ करोड़ रूपए से अधिक हो, द्वारा किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को जारी किए गए किसी बीजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् बी2सी बीजक कहा गया है) पर त्वरित प्रतिउत्तर (क्यू आर) कोड होगाः